Media Certification and Monitoring Committee (MCMC)

Presented By:
Ms. Anupama Sharma
Financial Advisor
Election Department, Rajasthan

मीडिया, पेड न्यूज, विज्ञापन अधिप्रमाणन

- Paid News क्या है?
  - PCI के अनुसार किसी भी मीडिया (प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रोनिक) में प्रकाशित/प्रसारित समाचार या विश्लेषण, जिसका मूल्य (नकद या वस्तु में) दिया गया हो।
  - आयोग के अनुसार – MCMC (Media Certification and Monitoring Committee) द्वारा समाचार पत्रों (प्रिन्ट मीडिया, इलेक्ट्रोनिक मीडिया, केबल, मोबाईल नेटवर्क आदि) सभी प्रकार के सम्प्रेषण साधनों पर विज्ञापन, संदेश, चर्चा, साक्षात्कार की जांच की जायेगी।
- समाचार एवं विज्ञापन में अन्तर :–
  - समाचार का उद्देश्य सूचना प्रदान करना है एवं विज्ञापन का उद्देश्य बढ़ावा देना या प्रोन्नत (Promote) करना है।
  - विज्ञापन का मूल्य होता है। समाचार निष्पक्ष होता है।
- पेड़ न्यूज के दुष्प्रभाव :–
  - मतदाताओं पर गलत तरीके से प्रभाव डालना, भ्रमित करना, सूचना के अधिकार पर प्रभाव डालना। चुनाव व्यय पर प्रभाव।

विभिन्न मीडिया

- प्रिन्ट मीडिया
  - समाचार पत्र
  - पत्रिकाएँ
- सोशल मीड़िया
  - WhatsApp
  - Facebook
  - Twitter
  - Instagram
  - Websites
- इलेक्ट्रोनिक मीड़िया
  - टी.वी. चैनल्स
  - एफ एम चैनल्स
  - केबल नेटवर्क
  - सिनेमा
  - Audio Visual Van
  - डिजीटल सीन
- आउटडोर मीडिया

पेड न्यूज के निर्धारण की प्रक्रिया

1. **संदिग्ध पेड़ न्यूज के प्रकरण प्राप्त करना**
   - (i) मीडिया प्रकोष्ठ से
   - (ii) व्यय पर्यवेक्षक से
   - (iii) मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से
   - (iv) किसी भी शिकायत के आधार पर
   - (v) स्वप्रेरणा से

पेड न्यूज का विश्लेषण एवं निर्णय

- एक ही लेख, फोटो , हेड़लाईन यदि अलग–अलग प्रकाशनों में छपती है, या तो भिन्न लेखकों के नाम से या थोड़ी सी भिन्न वाक्यों के साथ
- किसी विशेष समाचार पत्र के एक ही पृष्ठ पर दो विरोधी प्रत्याशियों के प्रशंसात्मक लेख प्रकाशित होते है या यह दावा किया जाता है कि दोनो प्रत्याशी जीतेंगे।
- किसी विशेष प्रत्याशी की अत्याधिक प्रशंसा एवं जीत की संभावना
- किसी एक की अधिक कवरेज, अन्य प्रत्याशियों की तुलना में
- Fixed size news items
- Multiple Font Types

पेड न्यूज की लागत की गणना

- नामांकन की तिथि से पेड न्यूज निर्धारित की जायेंगी, उससे पहले नहीं।
- पेड न्यूज की लागत डी.ए.वी.पी/डी.आई.पी.आर. में से जो न्यूनतम हो पर ज्ञात की जायेगी।
- डी.ए.वी.पी. दर नहीं होने पर डी.पी.आर. दर से पेड न्यूज की लागत ज्ञात की जायेगी।
- समाचार पत्र के पृष्ठ (मुख्य/अन्य) के आधार पर पेड न्यूज की लागत ज्ञात की जायेगी।
- रंगीन पृष्ठ पर प्रकाशित पेड न्यूज की लागत पृथक दरो से ज्ञात की जायेगी।
- पेड न्यूज की लागत अभ्यर्थी/राजनैतिक दल के व्ययों में जोड़ने के लिए लेखा दल को भिजवायी जायेगी।
- इलेक्ट्रोनिक मीड़िया चैनल्स के पेड़ न्यूज की लागत डी.ए.वी.पी/डी.आई.पी.आर. की दर से, प्राईम/नोन प्राईम टाईम के आधार पर ज्ञात की जाएगी।

Paid News & Guidelines / दिशा–निर्देश (27.08.2012) (Scrutiny, notice, Appeal)

पेड़ न्यूज की जांच :

- जिला सूचना जन सम्पर्क अधिकारी की महत्ती भूमिका
- साथ ही निष्पक्ष पत्रकार / मीड़ियाकर्मी (क्षेत्र का), सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय / विभाग के अधिकारी जिलें में संदेहास्पद / संदिग्ध पेड़ न्यूज के प्रकरण (MCMC EO द्वारा चिन्हित) RO को सूचित करना
- RO - Candidate प्रत्याशी को नोटिस (96 घंटे के भीतर)
- प्रत्याशी 48 घंटे के भीतर जवाब प्रस्तुत करेगा। इसकी अपील राज्य स्तर MCMC को 48 घंटे में प्रत्याशी द्वारा की जा सकेगी। जिसका निस्तारण राज्य स्तरीय MCMC द्वारा 96 घंटे के भीतर किया जाना है।
- राज्य स्तरीय MCMC की अपील ECI को 48 घंटे के भीतर, आयोग PCI या NBSA को प्रकरण Refer किये जा सकते है।

Rate Cards :

DAVP/DIPR Rate Cards

1. Rate cards of TV Channels/Radio Channels
2. News papers/Magazines

ANNEXURE -1

Reporting Format of Paid News Cases to be submitted on Last day of every week during Election

Sr. No.	Name of District	Complaints with/cases refered to District MCMCs by State MCMC/Exp. Observers etc.	Cases decided by District MCMC as suspected case of paid News & recomm. for notice to candidate	Cases/ complaint not found to be paid news	Cases in which Notices issued by RO to candidate	Cases in which candidates asscpted to have spent the amount and showed it in their accounts	Cases in which candidate did not reply to notice within stipulated time	Cases in which candidate refused to accept and gave explannation	Cases decided by District MCMC as NOT PAID NEWS after considering explannation/ reply to notice	Cases decided by District MCMC as PAID NEWS (after considering arguments/ reply to notice/ or after reply not recd)	Appeal by Candidate to State MCMC on final decision of District MCMC within stipulated time	Cases decided as paid news by State MCMC	Cases decided NOT PAID NEWS by State MCMC	Confirmed cases of paid news (5) + (9) - (12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1														
2														
3														

ANNEXURE -II

S. No.	Name of the candidate and party affiliation to whom notice issued in paid news case	Title of the news items	Name of Newspaper/ broadcast media and date of publication and page no. of the newspaper/ timing of programme, where item appears	Cost of said news item as per DIPR/DAVP rates that was accounted
1	2	3	4	5

Media Certification and Monitoring Committee

समाचार कवरेज/प्रसारण की आड़ में प्रसारित/प्रचारित किये जाने वाले राजनैतिक विज्ञापनो (पेड़ न्यूज) पर नियंत्रण करना।

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विज्ञापनो का अधिप्रमाणन

जिला स्तरीय MCMC

1. जिला निर्वाचन अधिकारी/रिर्टनिंग अधिकारी (लोकसभा क्षेत्र)
2. ARO (Not below SDM)
3. Social Media Expert
4. केन्द्र सरकार (Information Ministry Official - If any modification required)
5. निष्पक्ष पत्रकार

लगातार...

जिला स्तरीय MCMC की भूमिका एवं कार्य

- पेड न्यूज से संबंधित शिकायतों एवं प्रकरणों की जांच, सभी मीडिया का स्कैन कराना।
- RO, ARO एवं मीड़िया विशेषज्ञ की अधिप्रमाणन समिति, प्रमाणीकरण हेतु विज्ञापन MCMC को प्रस्तुत करेगी।
- RO एवं ARO द्वारा विचार–विमर्श कर प्रमाणीकरण हेतु प्रस्तुत किये जा रहे विज्ञापनो पर निर्णय लिया जाएगा।
- संदेहास्पद पेड न्यूज पर RO द्वारा नोटिस जारी किया जायेगा।
- चुनाव व्यय में सम्मिलित करने के लिए चुनाव व्यय में सम्मिलित करने हेतु (DIPR/DAVP दर के आधार पर)
- इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विज्ञापनो की मॉनिटरिंग एवं यह सुनिश्चित करना की प्रसारण प्रमाणीकरण उपरान्त ही किया जाएगा।
- प्रिन्ट मीडिया विज्ञापनो का प्रकाशन प्रत्याशी की सहमति उपरान्त ही हो एवं व्यय, चुनाव व्यय में सम्मिलित किया जायेगा।
- Section 127(A) RP Act 1951 के अनुसाार कार्यवाही करना।
- लेखांकन (Acct. Team) को पेड न्यूज के प्रकरणों की प्रति उपलब्ध कराना।
- मीडिया मॉनिटरिंग हेतु पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराना।

राज्य स्तरीय MCMC (State Level MCMC)

A. Chief Electoral Officer, Chairman

B. ADG/Director level officer from PIB/BOC present in the state - Nodal Officer for MCMC to be nominated by DG (Zone), I & B Ministry, Govt. of India

C. Any observer appointed by the Election Commission of India

D. One expert to be co-opted by the Committee

E. Officer of Indian Information Service (IIS), (at the level of US/DS) posted in the State/UT, representing a media Department of Government of India as separate from the expert at (c) above

F. Independent citizen or journalist as nominated by PCI (if any)

G. Additional/Jt. CEO in charge of Media expert (to be chosen by the CEO subject to the eligibility criteria)

लगातार...

इसके अतिरिक्त, राज्य स्तर पर विज्ञापन अधिप्रमाणन हेतु अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी।

- विज्ञापनों का प्रमाणीकरण
- 'पेड न्यूज' अपील प्रकरणों का विश्लेषण
- 'पेड न्यूज' के प्रकरण Suo Moto भी लिये जा सकते है।

पेड़ न्यूज पर निर्णय राज्य स्तरीय MCMC द्वारा ही लिया जा सकेगा।

राष्ट्रीय स्तर समिति ECI

- राज्य स्तरीय पेड न्यूज के संबंध में राज्य स्तरीय MCMC के निर्णय के विरुद्ध अपील प्रकरणों का विश्लेषण
- राज्य स्तरीय MCMC द्वारा संदर्भित/प्रेषित प्रकरणों का विश्लेषण (उक्त समिति में राष्ट्रीय स्तर के अधिकारी – AIR, DAVP, ECI सम्मिलित होंगे)

✓ नोट :– दिनांक 25.02.2019 के समिति सोशल मीडिया Expert सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रस्तावित विज्ञापन के प्रमाणीकरण हेतु MCMC की सहायता, Social Media पर संदेहास्पद पेड न्यूज प्रकरण, RO, EO को व्यय की सूचना, शिकायत, MCMC एवं Social Media Platform में सामंजस्य।

विज्ञापन अधिप्रमाणन

- उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 13.04.2004 के तहत टी.वी.चैनल्स एवं केबल नेटवर्क पर राजनैतिक दल/संस्था/प्रत्याशी द्वारा प्रसारण हेतु जारी होने वाले सभी विज्ञापन, आयोग द्वारा विभिन्न स्तर पर गठित समितियों द्वारा जारी होने से पूर्व प्रमाणित (Pre certified) होंगे।
- आयोग के आदेश दिनांक 15.10.12 द्वारा इलेक्ट्रोनिक मीडिया विज्ञापन में टी.वी. चैनल्स, केबल के साथ रेड़ियो/एफ.एम. चैनल्स, सिनेमा घरों में प्रसारित राजनीतिक विज्ञापनों को भी जोड़ा गया।
- साथ ही, जन सभाओं एवं सार्वजनिक स्थान पर (दृश्य श्रव्य) Audio Visuals भी अधिप्रमाणित होंगे।
- आदेश दिनांक 26.05.2015 में bulk SMS को भी जोड़ा गया।
- Social networking (E-Papers) में जारी किये जा रहे राजनीतिक विज्ञापनों का अधिप्रमाणन किया जायेगा।

विज्ञापनो की अधिप्रमाणन प्रक्रिया

- पंजीकृत राजनीतिक दल/संस्था/समूह के राजनीतिक विज्ञापन इलेक्ट्रोनिक मीडिया पर प्रसारण हेतु (टी.वी. चैनल्स/केबल/रेडियो चैनल्स/Social media sites) जारी होने से पूर्व अधिप्रमाणित होने आवश्यक है।
- प्रमाणन हेतु आवेदन की सीमा
  - मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय, राजनीतिक दल, पंजीकृत राष्ट्रीय, राजकीय, राजनीतिक दल प्रसारण हेतु प्रस्तावित दिनांक कम से कम तीन दिवस पूर्व (पंजीकृत राष्ट्रीय/राजनीतिक दल के प्रत्याशियों के विज्ञापन)
  - अन्य संस्थाओं विज्ञापन सात दिवस पूर्व
- निर्धारित आवेदन प्रपत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज
  - 2 प्रतियों में विज्ञापन (Duly attested transcript) आयोग के आदेश दिनांक 24.03.2014 के अनुसार प्रथमतः प्रस्तावित विज्ञापन की transcript भी प्रस्तुत किये जा सकते है एवं अनुमोदित होने के उपरान्त विज्ञापन/फिल्म/जिंगल आदि।
  - विज्ञापन निर्माण लागत (COPOA)
  - विभिन्न चैनल्स आदि पर प्रसारण की लागत
  - यदि किसी व्यक्ति द्वारा जारी कराया जा रहा है तो शपथ–पत्र
  - विज्ञापन प्रत्याशी/दल के चुनावी संभावनाओं एवं हित हेतु जारी किया जा रहा है।
  - देय भुगतान के संबंध में सूचना (Cheque or DD)

अधिप्रमाणन के मुख्य बिन्दु

- किसी भी इलेक्ट्रोनिक मीडिया पर ऐसा विज्ञापन प्रसारित नही होना चाहिए, जो राष्ट्र के विधि संहिता के संगत ना हो। जो नैतिकता, शिष्टता के विरुद्ध हो, भडकाऊ प्रकृति का हो, जो धर्म, जाति, वर्ग से संबंधित नही हो। जिसमें अपराध, हिंसा आदि को बढ़ावा नही दिया जावे।
- MCMC द्वारा अधिप्रमाणन हेतु आवेदन कर रहे राजनैतिक दल को यह अवगत कराना होगा कि विज्ञापन आदर्श आचार संहिता के अनुकूल है।
- अधिप्रमाणन के प्रकरण 24 घंटे के भीतर निस्तारित किये जायेंगे। (आयोग के आदेश दिनांक 12.04.2014 के अनुसार) किसी अन्य राजनैतिक दल/प्रत्याशी के विरोध में विज्ञापन अनुमत नही किये जायेंगे, क्योंकि इससे दूसरे राजनैतिक दल/प्रत्याशी को लाभ पहुंचता है।
- अधिप्रमाणन हेतु राज्य एवं जिला स्तरीय समिति

विज्ञापन अधिप्रमाणन की प्रक्रिया

- निर्धारित प्रपत्र में आवेदन–पत्र प्राप्त करना।
- आवेदन पत्र को रजिस्टर में दर्ज करना।
- सभी आवेदन पत्रों पर क्रम संख्या अंकित होगी।
- आवेदन पत्र की जांच करना।
- आवेदन पत्र को समिति के समक्ष प्रस्तुत करना।
- आवेदन पत्र पर समिति द्वारा निर्णय करना।
- निर्णय की प्रति आवेदक को देना।

विज्ञापन अधिप्रमाणन प्रतिवेदन की एकजाई रिपोर्ट

Annexure B-12

DETAILS OF ADVERTISEMENTS/PAID NEWS IN PRINT/ELECTONIC MEDIA

Name of State :- Rajasthan

1. Details of Advertisements Published in Print Media

S. No.	Name of Districts	Assembly No. & Name		Name of Candidate	Name of Political Party	Date	Name of Newspaper/ Magazine	Size of Advertisement (in column X CM)	Approximate Circulation (Information to be obtained from DPIR)	Cost of Advertisement
		No.	Name							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										

2. Details of Paid News in Print Media

S. No.	Name of Districts	Assembly No. & Name		Name of Candidate	Name of Political Party	Date	Name of Newspaper/ Magazine	Size of Paid News (in column X CM)	Approximate Circulation (Information to be obtained from DPIR)	Cost of Paid News
		No.	Name							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										

3. Details of Advertisments in Television Including Cable TV

S. No.	Name of Districts	Assembly No. & Name		Name of Candidate	Name of Political Party	Date & Time	Name of Channel	Duration of Advertisments (In Minutes)	Approximate Viewer Ship (Information to be obtained from DPR)	Cost of Advertisments
		No.	Name							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										

लगातार...

4. Details of Paid News in Television Including Cable TV

S. No.	Name of Districts	Assembly No. & Name		Name of Candidate	Name of Political Party	Date & Time	Name of Channel	Duration of Paid News (In Minutes)	Approximate Viewer Ship (Information to be obtained from DPR)	Cost of Paid News
		No.	Name							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										

5. Details of Advertisments on Radio

S. No.	Name of Districts	Assembly No. & Name		Name of Candidate	Name of Political Party	Date & Time	Name of Channel	Duration of Advertisments (In Minutes)	Approximate Listener Ship (Information to be obtained from DPR)	Cost of Advertisments
		No.	Name							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										

6. Details of Paid News on Radio

S. No.	Name of Districts	Assembly No. & Name		Name of Candidate	Name of Political Party	Date & Time	Name of Channel	Duration of Paid News (In Minutes)	Approximate Listener Ship (Information to be obtained from DPR)	Cost of Paid News
		No.	Name							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										

प्रिन्ट मीडिया विज्ञापन (अधिप्रमाणन)

- मीडिया में भी कई बार भ्रामक, भड़काऊ, विज्ञापन प्रकाशित हो जाते है। आयोग के आदेश दिनांक 06.04.2017 एवं तदुपरान्त 2019 के आदेश के तहत यह निर्देशित किया जाता है कि कोई भी राजनैतिक दल या प्रत्याशी या अन्य संस्था, व्यक्ति, मतदान एवं मतदान के एक दिवस पूर्व बिना MCMC के प्रमाणीकरण के प्रिन्ट मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित नहीं करा सकेगा।

अधिप्रमाणन हेतु मीडिया प्रकोष्ठ में निम्न प्रपत्र में एक रजिस्टर संधारित किया जायेगा।

क्र. स.	अभ्यर्थी का नाम एवं पता	दल का नाम	तिथि व समय	विज्ञापन का शीर्षक	चैनल का नाम	प्रसारण का समय (मिनट/ सैकण्ड में)	निर्माण लागत	प्रसारण लागत	कुल लागत	अधिप्रमाणन की तिथी व समय	अधिकारी के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

पेड न्यूज के संबंध में निम्न प्रारूप में एक रजिस्टर संधारित किया जायेगा।

क्र. स.	तिथी	प्राप्ति का स्त्रोत	चिन्हित संदिग्ध पेड न्यूज का शीर्षक	समाचार पत्र /चैनल का नाम	प्रकाशन/ प्रसारण की तिथी	जिला MCMC में प्रारंभिक निर्णय की तिथी	MCMC द्वारा निर्णय संदिग्ध पेड न्यूज है/नहीं	संदिग्ध पेड न्यूज को R.O के पास भेजने की तिथी व क्रमांक	R.O द्वारा नोटिस का क्रमांक व तिथी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

तामील की तिथी व समय	क्या अभ्यर्थी/ दल ने कोई जवाब दिया है? हां/नहीं	यदि हां तो तिथि व समय	अभ्यर्थी द्वारा जवाब मे संदिग्ध पेड न्यूज स्वीकार कर ली गई है क्या ? हां/नहीं	पुनः MCMC की तिथी	MCMC द्वारा निर्णयः कन्फर्म पेड न्यूज हां/नहीं	कन्फर्म पेड न्यूज निर्णय की तिथी	पेड न्यूज की लागत	क्या राज्य स्तर पर कोई अपील की गई है ? हां/नहीं	अपील में निर्णय स्वीकार/ अस्वीकार	अपील के निर्णय की तिथी
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

अनुलग्नक—अ

विज्ञापन के प्रमाणन के लिए आवेदन

अनुलग्नक—अ

विज्ञापन के प्रमाणन के लिए आवेदन

(i) आवेदक का नाम और पूरा पता : ____________________

____

(ii) क्या यह विज्ञापन किसी राजनीतिक दल से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह/संघ/संगठन/न्यास द्वारा दिया गया है? (नाम लिखें) :— ____________________

(iii) (क) यदि राजनीतिक दल है, तो उसकी स्थिति (क्या यह मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/राज्य/गैर मान्यता प्राप्त दल है)। :—

(ख) यदि कोई अभ्यर्थी है, तो उस संसदीय/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, जहां से निर्वाचन लड़ा है :—

(iv) राजनीतिक दल, समूह या व्यक्तियों के निकाय, संघ/संगठन/न्यास के मुख्यालयों का पता :—

....

(v) चैनलों/केबल नेटवर्कों के नाम, जिन पर इस विज्ञापन का प्रसारण प्रस्तावित है :—

....

(vi) (क) क्या यह विज्ञापन किसी अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) के संभावित निर्वाचन लाभ के लिए है? ———

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) का नाम, पूरा पता तथा निर्वाचन क्षेत्र (क्षेत्रों) के नाम (नामों) के साथ प्रदान करें :— ....

(vii) इस विज्ञापन के प्रस्तुतीकरण की तिथि :—

(viii) इस विज्ञापन की भाषा (भाषाएं) (विधिवत् अनुप्रमाणित लिप्यंतरण के साथ विज्ञापन इलेक्ट्रॉनिक रूप में **"दो प्रतियों"** के साथ प्रस्तुत किया जाएगा)।

(क) (i) विज्ञापन का शीर्षक :—

(ख) (ii) विज्ञापन निर्माण की लागत :—

(ग) (iii) प्रसारित किए जाने की बारंबारता का विवरण व प्रत्येक बार दिखाए जाने की प्रस्तावित दर के साथ प्रस्तावित प्रसारण की अनुमानित लागत : (रुपये) ————————

(घ) (iv) संपूर्ण व्यय (रुपये में) :— ____________________ (अंकों में)

____________________ (शब्दों में)

II.

मैं, श्री/श्रीमती .... सुपुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ....(पूरा पता) .... वचन देता/देती हूँ कि, इस विज्ञापन के निर्माण तथा प्रसारण से संबंधित सारे भुगतान चैक/डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से किए जाएंगे।

स्थान :–
दिनांक :–

आवेदक के हस्ताक्षर
(   )

आवेदक का नाम : ——————————————
पदनाम : ——————————————
पूर्ण पता : ——————————————
——————————————
दूरभाष नंबर : ——————————————
मोबाइल नंबर : ——————————————

III.

(किसी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी को छोड़कर किसी व्यक्ति/ व्यक्तियों द्वारा दिए जाने वाले विज्ञापन के लिए लागू)

मैं, श्री/श्रीमती .... सुपुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ....(पूरा पता) .... एतदद्वारा पुष्टि करता हूँ कि, इसके साथ प्रस्तुत विज्ञापन किसी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी के लाभ के लिए नहीं है तथा यह विज्ञापन किसी भी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी द्वारा प्रायोजित, कमीशन प्राप्त या प्रदत्त नहीं है।

स्थान :–
दिनांक :–

आवेदक के हस्ताक्षर
(   )

आवेदक का नाम : ——————————————
पदनाम : ——————————————
पूर्ण पता : ——————————————
——————————————
दूरभाष नंबर : ——————————————
मोबाइल नंबर : ——————————————
ई–मेल : ——————————————

प्रसारण के लिये प्रमाणीकरण

अनुलग्नक–ब

प्रसारण के लिए विज्ञापन का प्रमाणीकरण

(I)

(i) आवेदक (राजनीतिक दल/अभ्यर्थी/व्यक्ति/व्यक्तियों का समूह/संस्था/संघ ट्रस्ट) का नाम व पता –
(ii) आवेदन संख्या –
(iii) विज्ञापन का शीर्षक –
(iv) विज्ञापन की अवधि –
(v) विज्ञापन में प्रयोग की गई भाषा/भाषाएं –
(vi) विज्ञापन के प्रस्तुतीकरण की तिथि –
(vii) प्रसारण के लिए प्रमाणीकरण की तिथि –
(viii) विज्ञापन निर्माण की लागत –
(ix) विज्ञापन प्रसारण माध्यम –

(II)

प्रमाणित किया जाता है कि उपयुक्त विज्ञापन माननीय भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुसार प्रसारण के लिए उपयुक्त है।

स्थानः

दिनांकः

समिति के अध्यक्ष का नाम, पद एवं हस्ताक्षर

.....

समिति के सदस्य का नाम, पद एवं हस्ताक्षर

.....

समिति के सदस्य का नाम, पद एवं हस्ताक्षर

.....

सोशल मीड़िया – महत्वपूर्ण बिन्दु
भारत निर्वाचन आयोग के दिशा–निर्देश

➢ भारत निर्वाचन आयोग के दिशा–निर्देश

1. सभी प्रत्याशियों द्वारा सोशल मीडिया Account के Details प्रस्तुत करना आवश्यक है।
2. सोशल मीडिया विज्ञापन/प्रचार–प्रसार चुनाव व्यय में सम्मिलित किया जाएगा।

➢ अन्य निर्देश :

- प्रत्याशी द्वारा सोशल मीडिया अकाउंट विवरण नामांकन दाखिल करते समय (फार्म 26 अनु. 3) प्रस्तुत करना होगा।
- आदर्श आचार संहिता सोशल मीडिया पर लागू होती है।
- सोशल मीडिया विज्ञापन पर किया गया व्यय (कंटेंट, वेतन, इन्टरनेट कम्पनी को भुगतान आदि) चुनाव व्यय में सम्मिलत होगा।
- संदेश/टिप्पणी/फोटो/वीडियों – ब्लाग या सेल्फ अकाउंट, वेबसाईट पर अधिप्रमाणन की आवश्यकता नहीं।
- ई–पेपर पर राजनैतिक विज्ञापन का अधिप्रमाणन आवश्यक है।
- मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा अपने social media accounts सभी platforms पर ज्यादा interactive बनाया जाएगा।
- आयोग के स्तर पर सोशल मीडिया सेल सभी राज्यों की गतिविधियां मॉनीटर करेगी।

Political Advertisement on Social Media

राजनैतिक विज्ञापन नही हैं :

- Message
- Comments
- Photos
- Video Posts
- Blogs
- Self Accounts on Websites

No Pre Certification

राजनैतिक विज्ञापन हैं :

- E-News Paper advertisement

Pre Certification

✓ Political advertisements on Social Media Sites to be pre certified.

मीडिया कवरेज

मीडियाकर्मी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रुप से मतदान का कवरेज कर सकते है।

- विधानसभा क्षेत्रो में कवरेज हेतु अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।
- मतदान केन्द्रो एवं मतगणना केन्द्रों (Counting Centres) हेतु अनुमति एवं पूर्व स्वीकृति आवश्यक है।
- चुनाव घोषणा उपरान्त मीडियाकर्मियों का मतदान केन्द्रो एवं Counting Centers में प्रवेश हेतु Authority Letters जारी किये जा सकेंगे।

Authority Letter हेतु प्रायोजक (Sponsoring Authority):

1. PDG (Media & Communication) राष्ट्रीय स्तर के द्वारा अधिस्वीकृत पत्रकारों/मीडियाकर्मियों के लिये
2. सूचना जन सम्पर्क, निदेशक (राज्य स्तरीय)

मीडिया पास हेतु दिशा–निर्देश :

- मीडियाकर्मियों की सूची मतदान तिथि से कम से कम 15 दिवस पूर्व प्राप्त की जाएगी। आयोग को अनुमोदन हेतु प्रेषित की जाएगी। तदुपरान्त प्राप्त प्रस्ताव पर विचार नही किया जाएगा।

Authority Letter मुख्यतः अधिस्वीकृत पत्रकारों/मीडियाकर्मियों को जारी किए जाएंगे किन्तु PDG(M&C) एवं निदेशक सूजस के प्रस्ताव पर गैर स्वीकृत पत्रकारों को सीमित अवधि के लिए Authority Letter जारी किये जाएंगे।

- विधानसभा क्षेत्र हेतु संख्या पर कोई प्रतिबन्ध नही है।

मतगणना केन्द्र हेतु

इलेक्ट्रोनिक मीड़िया को 2 एवं प्रिन्ट मीडिया को 1 मीड़िया पास (Authority Letters) जारी किये जाएंगे।

- Authority Letters – मुख्य निर्वाचन अधिकारी या अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी किए जाएंगे।
- मतदान केन्द्रो में Voting Compartments के अन्दर पास/फोटो/वीडियोग्राफी की अनुमति नही है।

मीड़िया केन्द्र

- मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय परिसर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय परिसर में चुनाव की घोषणा तिथि के उपरान्त Media Centers स्थापित किए जाएंगे।
- चुनाव संबंधी सूचना प्रदान करने हेतु
  - जिला सूचना जन सम्पर्क अधिकारी (प्रभारी अधिकारी) होगा।
  - मीडिया सेंटर में दूरभाष/प्रिन्टर/फर्नीचर आदि की सुविधाएँ उपलब्ध कराई जायेंगी।
  - चुनाव परिणाम जिला एवं राज्य स्तर के मीडिया सेन्टर्स को तुरन्त उपलब्ध कराये जायेंगे।

चुनाव दौरान मीडिया कर्मियों को प्रदान की जाने वाली सुविधाएँ

- Authority Letters (मीडिया पास)
- मीडिया सेन्टर
- मतगणना केन्द्र में मीडिया रुम एवं सभी आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराई जाएंगी।
- सरकारी मीडिया एवं विभाग – आकाशवाणी/दूरदर्शन एवं सूचना प्रसारण मंत्रालय के अधिकारी, प्रेस इन्फोर्मेशन ब्यूरो, सूचना जन सम्पर्क विभाग को उपरोक्त के अतिरिक्त कोई विशेष सुविधा प्रदान नही की जाएगी।

चुनाव के दौरान प्रचार–प्रसार

- चुनाव के दौरान मीडिया कवरेज RPA, 1951 Section 126(1)(b) (आयोग के पत्र दिनांक 01.10.2020) के महत्वपूर्ण दिशा–निर्देश।
- विधानसभा क्षेत्र में मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व कोई चुनाव संबंधी सामग्री इलेक्ट्रानिक एवं संबंधित मीडिया पर प्रदर्शित नही की जाएगी।
- जनसभा का आयोजन नही किया जाएगा।
- Exit Poll पर एवं उनके परिणामों पर 48 घंटे पूर्व प्रतिबन्ध रहेगा।
- प्रिंट मीडिया हेतु PCI के दिशा निर्देश
- चुनाव संबंधी सही सूचना प्रदान करना।
- भ्रामक, अनर्गल प्रचार–प्रसार नहीं करना चाहिए।
- जाति, धर्म के आधार पर प्रकाशन नहीं करना।
- NBSA - News Broadcasting Standards Authority के दिशा निर्देश (Electronic Media) (03.03.14)

सोशल मीडिया कवरेज

Voluntary Code of Ethics:- Internet and Mobile Association of India द्वारा आयोग के दिशा–निर्देश में Voluntary Code of Ethics बनाया गया है।

- सोशल मीडिया प्लेटफार्म स्वयं के स्तर पर मतदाता जागरूकता अभियान चलाएगें।
- सोशल मीडिया प्लेटफार्म द्वारा पेड राजनैतिक विज्ञापनों के संबंध में आयोग से पारदर्शिता रखी जाएगी।
- सेक्शन 126 RPA का उल्लंघन होने की स्थिति में विधि सम्मत आदेश 3 घंटे के अन्दर (उल्लंघन रिपोर्ट प्राप्त होने के) प्रक्रियाधीन होगा।
- Exchange Feedback Program

राजनैतिक दलों को प्रसारण समय का आवंटन

यह योजना वर्ष 1998 में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा राज्य के स्वामित्व के मीडिया (टीवी/रेडियो) के उपयोग हेतु बनाई गई थी जो दूरदर्शन एवं आकाशवाणी (प्रसार भारती) पर लागू है। प्रत्येक राजनैतिक दलों को 45 मिनट का समय आवंटित किया जा सकता है।

राजकोष से विज्ञापनों का प्रकाशन

- लोकनिधि या सरकारी खजाने से, सरकारी विज्ञापनों का प्रकाशन/प्रसारण पर व्यय मुख्यतः सरकारी योजनाओं, कार्यक्रमों, नवाचारों को आम जनता तक पहुंचाने हेतु किया जाता है।
- आदर्श आचार संहिता राजकोष से किए जा रहे उन विज्ञापनों के प्रसारण को प्रतिबन्धित करती है जिनका लाभ किसी व्यक्ति/दल विशेष को मिल सकता है।
- उच्चतम न्यायालय के दिनांक 13.05.2015 के दिशा निर्देश अनुसार
  - प्रचार/प्रसार की भाषा निष्पक्ष हो।
  - विज्ञापन से किसी व्यक्ति/दल का महिमामण्डन नही हो।
- विज्ञापन सामग्री में निम्न सम्मिलित नहीं होना चाहिए
  - सत्तारूढ़ दल का नाम
  - किसी अन्य दल/विपक्षी दल पर दोषारोपण
  - किसी दल/राजनैतिक चिन्ह, Logo आदि
  - उद्देश्य जन समर्थन (किसी दल/व्यक्ति) हेतु प्रभावित करना नही हो। किसी दल/प्रत्याशी के वेब लिंक का उल्लेख व संदर्भ नहीं हो।

लगातार...

- राजकीय विज्ञापनों में यदि आवश्यक है, तो केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश का फोटों ही प्रकाशित किया जाता है, वो भी उपरोक्त संवैधानिक पदाधिकारियों के निर्णयानुसार ही किया जाएगा।
- उच्चतम न्यायालय के संशोधित दिशानिर्देशों (18.03.2016) के तहत संबंधित राज्य के राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री का फोटो प्रकाशित किया जा सकता है।

सरकार की उपलब्धियों कों दर्शाते हुए कोई विज्ञापन राजकोष से जारी नही किया जाएगा। घोषणा होने की तिथि से प्रिन्ट–इलेक्ट्रानिक मीडिया में कोई विज्ञापन जारी नही किया जाएगा। यदि जारी कर दिया गया है तो तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाएगी।

- आउटडोर मीडिया – सामाजिक कल्याण, चिकित्सा–स्वास्थ्य से जुडी योजनाओं यथा परिवार नियोजन आदि के होर्डिंग विज्ञापन प्रदर्शित किए जा सकते है पर उक्त होर्डिंग्स फ्लेक्स पर कोई फोटो, चिन्ह, नाम आदि अंकित ना हो।

➢ विशिष्ट अवसरों/दिवसों पर विज्ञापन

- विशिष्ट अवसरों या दिवसों पर विज्ञापन प्रकाशन/प्रसारण पर कोई प्रतिबंध नही है – स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती, पर्यावरण दिवस।

पेड न्यूज के उदाहरण :

विराट वैभव 23-11-2018 (2)

चुनाव प्रचार — एक दर्जन से अधिक गांवों का किया दौरा, नुक्कड़ सभाओं को किया संबोधित

कांग्रेस प्रत्याशी राजेन्द्र सिंह यादव को मिल रहा भारी जनसमर्थन

वैभव न्यूज ■ कोटपूतली

कोटपूतली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी राजेन्द्र सिंह यादव के प्रचार अभियान ने गुरुवार को गति पकड़ ली। यादव ने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ एक दर्जन से अधिक गांवों में धुआंधार प्रचार करते हुए जन समर्थन मांगा।

इस दौरान ग्रामीणों ने यादव का बड़े ही गर्मजोशी व उत्साह के साथ

विधानसभा में मांग उठाए जाने के बावजूद भी कोटपूतली के जिले की मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। यहां तक कि कस्बे की सीवरेज लाईन को भी भाजपा सरकार बनते हुए अंतरिम बजट दिसम्बर 2013 में रद्द कर दिया। लेकिन इसका झूठ ठीकरा भाजपा नेता कांग्रेस पार्टी पर फोड़ रहे हैं।

जबकि उक्त सीवरेज के प्रोजेक्ट से शाहपुरा में सीवरेज लाईन का ... यादव ने ... आने वाली

कांग्रेस प्रत्याशी राजेन्द्र सिंह यादव का माला पहनाकर स्वागत करते हुए।

हमेशा से ही गरीब, दलित, पिछड़ा, किसान, मजदूर समेत समाज के प्रत्येक वर्ग व जाति के कल्याण के लिए कार्य किया है। उन्होंने कहा कि पांच वर्षों के कार्यकाल में क्षेत्र की सड़क, पेयजल, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य व कानून व्यवस्था को लेकर हर संभव कार्य किए है।

उन्होंने आमजन व ग्रामीणों से संपर्क करते हुए आने वाले चुनावों के लिए जन समर्थन व आशीर्वाद मांगते हुए कहा कि कोटपूतली के सर्व समाज के सहयोग से आने वाले समय में क्षेत्र निरंतर शांति,

गुर्जर व सर्व समाज के पंच पटेलों ने निर्दलीय हंसराज को दिया समर्थन

कोटपूतली, (निसं)। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर क्षेत्र की राजनीति निरंतर नए मोड़ लेती जा रही है। ...

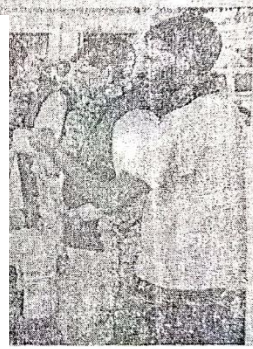

■ चार प्रत्याशियों ने की नामांकन वापसी की घोषणा

कोटपूतली में निर्दलीय प्रत्याशी हंसराज के लिए पंच पटेलों की बैठक हुई।

भारीजा में कांग्रेस की पहली बार सभा

वीरेन्द्र को विजयी बनाने का लिया संकल्प

सहयोग व गांव के विकास का विश्वास दिलाया। उन्होंने कहा कि वे भारीजा के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इस मौके पर पूर्व जिला प्रमुख दामोदर प्रसाद शर्मा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि विधायक नारायणसिंह ने दांतारामगढ़ में खूब काम करवाए है और अब कमान युवा को सौंपी है जो सभी बिरादरी को साथ लेकर विकास करवाएंगे। सभा को जिला उपाध्यक्ष भोपालसिंह सहित अनेक लोगों ने संबोधित किया।

भाकर के नामांकन दाखिल करने से चुनावी फिज़ा बदली

राष्ट्रदूत Dt. 28/11/18

चूरू में कांग्रेस प्रत्याशी रफीक मण्डेलिया चुनाव प्रचार में पिछड़े

■ राठौड़ व मण्डेलिया दोनों को भीतरघात का खतरा

राजेन्द्र राठौड़ — रफीक मण्डेलिया

भाजपा प्रत्याशी रामावतार बैरवा का जनसम्पर्क अभियान परवान चढ़ा

चाकसू (निसं)। चाकसू विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी रामावतार बैरवा ने सामान्य जनता से जनसम्पर्क कर अपने पक्ष मे मतदान व समर्थन का अनुरोध करना आरम्भ कर दिया है। स्थानीय प्रत्याशी की सादगी, सरलता व अपनेपन के कारण लोगों का स्वाभाविक समर्थन मिलने लगा है। चाकसू के मुख्य बाजार में लोगों ने जगह-जगह, घर हो या संस्थान रोककर स्वागत कर साफा

भाजपा प्रत्याशी का स्वागत करते लोग।

बंधवाकर मुक्त कंठ से समर्थन का विश्वास दिलाया। बैरवा अपने समर्थकों के साथ गुरुवार 22 नवम्बर को क्षेत्र की ग्रामपंचायत कादेड़ा में मंगरा की ढाणी में मतदाताओं से सम्पर्क आरम्भ करेंगे। कादेड़ा पंचायत के साथ खेजड़ी, तामड़िया, टूमली का बास, बड़ली व ग्रामपंचायत कौथून के सभी गांवों व ढाणियों का दौरा कर जनता से अपने समर्थन के लिए अपील करेंगे।

बेगस, निमेड़ा, सिवार मोड़, सिरसी में किया सघन जनसम्पर्क

ग्रामीणों ने उत्साह से किया कटारिया का स्वागत

स्कूल शिक्षा परिवार का वीरेंद्र सिंह को समर्थन

Scanned with CamScanner

Thank You